राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
25/2025	19.03.2025	20.04.2026

बउनवान

1. बनेसिंह पुत्र धीरयाराम, निवासी ग्राम सरावली, तहसील मंडावर, जिला दौसा (राज.)।

..**प्रार्थी/सायल**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा (राज.)।
2. फोरेस्टर मण्डावर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.)।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी महवा, तहसील महवा, जिला दौसा (राज.)।

..**अप्रार्थीगण/गैरसायल**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण/सायल – श्री मुकेश सिंह/महेश सिंह।
2. अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 – स्वयं।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 113, 114, कुल रकबा 5.81 हैक्टे. ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाड़ा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से अपने ग्राम सरावली में स्थाई निवास कर रहा है एवं प्रार्थी की समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रार्थी के निवास स्थान पर स्थित है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से करता चला आ रहा है एवं प्रार्थी को अपनी अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है एवं प्रार्थी की अचल सम्पत्ति में प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी उक्त भूमि में काश्त करता चला आ रहा है एवं प्रार्थी के पास अपने परिवार के पालन पोषण का यही एक मात्र सहारा है जिसमें प्रार्थी फसल पैदा कर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजो के समय से प्रार्थी के कब्जे में चली आ रही है। अप्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी के स्वामित्व व स्वत्व की विवादित आराजीयात को हड़पना चाहते हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमे प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवन पर्यंत काश्त की गई थी। विवादित आराजीयात प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है लेकिन उक्त भूमि का रकबा भू बन्दोबस्त विभाग के द्वारा चकबंदी करने के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में तो रकबा सही रखा था लेकिन उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस छोटा कर दिया जिससे प्रार्थी की भूमि मौके पर कम हो गई एवं जमाबन्दी में रकबा सही दर्शा रखा है एवं भूमि का नक्शा ट्रेस छोटा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कर उक्त भूमि वन विभाग के नक्शा ट्रेस में लगा दी है जिससे प्रार्थी की भूमि जमाबन्दी में तो सही है लेकिन मौके पर रकबा कम है एवं प्रार्थी की भूमि के पास ही स्थित वन विभाग की भूमि के नक्शा ट्रेस में भूमि मिली हुई है। प्रार्थी उक्त भूमि पर लगातार फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी शान्ति पूर्वक अपनी भूमि में काश्त करते चले आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि में जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास किया है लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाया जिससे अप्रार्थीगण अभी तक उक्त भूमि में अतिक्रमण नहीं कर पाये थे। प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम सरावली के लगवा ही वन विभाग की भूमि है। उक्त खसरा सं. की नक्शा ट्रेस में ही प्रार्थी की भूमि का रकबा मिला हुआ है। वन विभाग की उक्त भूमि की आड़ में ही अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि को हड़पना चाहते हैं। प्रार्थी दिनांक 17.03.2025 को अपनी उक्त भूमि खसरा नम्बर 113,114 में फसल की देखभाल कर रहा था कि उसी समय अप्रार्थी सं. 01, 02, 03 अपने साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को साथ में लेकर आ गए एवं प्रार्थी को एक नोटिस दे दिया जो दिनांक 10.03.2025 का जारी किया गया था लेकिन प्रार्थी को 17.03.2025 को दिया है एवं अप्रार्थीगण सभी प्रार्थी के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर आ गए व प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि हम इस जमीन में होकर जे.सी.बी. से वन विभाग की खाड़ी खोद कर रहेंगे एवं खेत में जगह–जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद कर खेत को फसल करने लायक नहीं छोड़ेंगे एवं खेती को अनुपजाऊ बना देंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते एवं हम सरकारी अधिकारी है, ज्यादा बकवास करोगे तो हम तुमको झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देंगे एवं जबरन अप्रार्थी सं. 01, 02, 03 एवं उनके साथ में आये कर्मचारी खेतों में अन्दर घुस कर निशान लगाकर प्रार्थी के खेत में अन्दर होकर जबरन वन विभाग की खाड़ी खोद कर खेत में गड्ढे खोद कर खेत की भूमि को अनुपजाऊ बनाने की ऐलानिया धमकी देने लगे थे। इस प्रकार यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया जाना लाजिमी आया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी सं. 01, 02, 03 द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमि में आकर जबरन अतिक्रमण कर खेत में होकर जबरन वन विभाग की खाड़ी खोद कर खेतों में गड्ढे खोदने की ऐलानिया धमकी देने से ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में पैदा हुआ है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। अप्रार्थीगण लोकसेवक है, कानूनन जिनके विरुद्ध बाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थी का वाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का है। दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी सं. 01, 02, 03 के द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व व स्वत्व के खेत में होकर तत्काल ही जबरन वन विभाग की खाड़ी खोद कर गड्ढे खोदने की ऐलानिया धमकी देने से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यदि कानूनन अप्रार्थीगण को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व लीगल नोटिस 60 दिवस का प्रदान किया गया तो अप्रार्थीगण अपने द्वारा दी गई ऐलानिया धमकी में सफल हो जायेंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेंगा एवं प्रार्थी का बाद पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का होने से न्यायालय को दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र को प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) जा. दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह से साबित है एवं यदि अप्रार्थीगण अपने द्वारा दिनांक 10.03.2025 को दी गई धमकी में सफल हो गए तो प्रार्थी अपनी पैतृक सम्पत्ति खातेदारी भूमि से वंचित हो जाएगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फ़रमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थी के स्वामित्व व स्वत्व की खातेदारी की उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 113,114 में होकर किसी प्रकार की वन विभाग की खाड़ी नहीं खोदे एवं खाड़ी खोद कर प्रार्थी के खेतों में गड्ढे नहीं खोदे एवं जबरन प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करें, प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करे एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि की मौके के व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द रहे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। दिनांक 15.04.2025 को विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 15.04.2025 अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 113, 114 वाके ग्राम सरावली, तहसील मण्डावर में किसी भी प्रकार की खाड़ी नहीं खोदे एवं खाड़ी खोदकर प्रार्थी के खेतों में गड्ढ़े नहीं खोदे, प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करें और मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी स. 01 न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु इनके द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

4. प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. **व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध** – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072–75 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अनुसार प्रार्थी विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है जबकि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र दुरूस्ती नक्शा ट्रेस तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबद्व वाद पत्र के लंबित रहने की अवधि में, अप्रार्थीगण द्वारा यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में भारी असुविधा तथा भारी क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुॅचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सरावली, पटवार हल्का जटवाड़ा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 113, 114 सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 15.04.2025 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्व मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी व्यादेश इस आशय की जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार की खाडी नही खोदे, प्रार्थी को भूमि से बेदखल नहीं करें एवं वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)